

06.02.2024:

आज पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। मूल वाद-पत्र पैरवी/अदम हाजरी खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरकीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

प्राथमिक कलेक्टर

मुख्य अधिकारी

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

